

**बिहार सरकार**  
**नगर विकास एवं आवास विभाग**

प्रेषक,

राजीव शंकर,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),  
बिहार, पटना।

\*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-

**विषय:-** पटना नगर निगम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में **Construction of PMC Building at Nutan Rajdhani Anchal Office Premises** के निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु कुल 2762.07 लाख मात्र की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु देनदारी की राशि में से तत्काल ₹66.00 लाख (छियासठ लाख रुपये) मात्र सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2026-27 राशि के व्यय की स्वीकृति।

**आदेश:-** स्वीकृत।

राज्य के विभिन्न नगर निकायों में कार्यालय को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए प्रशासनिक भवन का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के क्रम में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-997 दिनांक-13.03.2025 द्वारा पटना नगर निगम अंतर्गत **Construction of PMC Building at Nutan Rajdhani Anchal Office Premises** के लिए कुल राशि ₹2762.07 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। विभागीय राज्यादेश सं०-267 दिनांक-09.09.2025 द्वारा उक्त कार्य हेतु ₹65.00 लाख रुपये एवं विभागीय राज्यादेश सं०-435, दिनांक-15.01.2026 द्वारा उक्त कार्य हेतु ₹35.00 लाख रुपये आवंटित किया गया है। विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-530, दिनांक-25.03.2026 द्वारा पटना उक्त कार्य हेतु राशि ₹500.00 लाख आवंटित किया गया था, जो कतिपय कारणों से राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 में नगर निगम, पटना के PL खाता में हस्तांतरित नहीं हो सका। विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-530, दिनांक-25.03.2026 को रद्द करते हुये निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित नगर निकाय को स्तम्भ-04 में अंकित योजना के कार्यान्वयन के लिए स्तम्भ-5 में स्वीकृत राशि में से स्तम्भ-7 के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2026-27 में तत्काल कुल ₹66.00 लाख (छियासठ लाख रुपये) मात्र नगर निकायों में प्रशासनिक भवनों के निर्माण/जीर्णोद्धार मद से सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

राशि लाख में

| क्र० सं० | निकाय का नाम  | PL खाता संख्या/HOA संख्या           | योजना का नाम                   | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि | पूर्व में आवंटित कुल राशि | तत्काल आवंटित राशि | अवशेष राशि |
|----------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|------------|
| 1        | 2             | 3                                   | 4                              | 5                          | 6                         | 7                  | 8          |
| 1        | पटना नगर निगम | PTCPLA021/00-8448-00-102-0001-00-01 | प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य | 2762.07                    | 100.00                    | 66.00              | 2596.07    |
| कुल      |               |                                     |                                | 2762.07                    | 100.00                    | 66.00              | 2596.07    |

अर्थात् कुल स्वीकृति की राशि ₹66.00 लाख (छियासठ लाख रुपये) मात्र।

2. उक्त स्वीकृत ₹66.00 लाख (छियासठ लाख रुपये) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-227, दिनांक-28.03.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि उपरोक्त कंडिका-1 में अंकित तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित PL खाता संख्या एवं HOA संख्या में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।
3. राज्य योजनाओं एवं अन्य समरूप योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में विभाग द्वारा निर्गत विभिन्न दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. उक्त स्वीकृत कुल ₹66.00 लाख (छियासठ लाख रुपये) मात्र की निकासी माँग संख्या-48 नगर विकास एवं आवास विभाग, मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष-01-राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष-191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष-0105-नगर निकायों के प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों का निर्माण-जीर्णोद्धार हेतु सहायक अनुदान, विपत्र कोड-48-2217011910105, विषय शीर्ष-0105.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी।
5. योजना का क्रियान्वयन ई-टेन्डरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कराया जाएगा।
6. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम-431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०-42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-1496, दिनांक-22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। वित्त विभाग के संकल्प सं०-573, दिनांक-16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक-9.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 (ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।" राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक-63, दिनांक-11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BTC-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।
7. उक्त योजना का क्रियान्वयन नगर निगम, पटना द्वारा किया जाएगा।
8. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृष्ठ सं०- 37 / टि० पर दिनांक- 07.05.24 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०- 42 / टि० पर दिनांक- 18.06.24 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-14 / न०वि०(प्र०भ०)-21-06 / 2024

85

/ न०वि० एवं आ० वि० / पटना, दिनांक- 25/06/26

प्रतिलिपि:- नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/ विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई०-मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, 06 एवं 14, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।